कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

<u>निविदा प्रपत्र</u>

(1) <u>कार्य का विवरण (Scope of Work)</u>

(i) दुग्ध संकलन परिवहन कार्य– दुग्ध समितियों से निकटम बी.एम.सी., शीत केन्द्र अथवा संयंत्र तक।

(ii) शीतलीकृत दुग्ध का परिवहन कार्य– बी.एम.सी. से दुग्ध शीत केन्द्र अथवा संयंत्र तक।

– दुग्ध संकलन का कार्य संलग्न दुग्ध संकलन मार्गो से परिशिष्ट–04 के अनुसार किया जावेगा।

– इस कार्य हेतु निम्नलिखित वाहनो की आवश्यकता होगी।

1	ए.सी.ई. / समकक्ष	– क्षमता 1.0 मीट्रिक टन	संख्या–28
2	मैक्स / पिकअप / समकक्ष	– क्षमता 1.5 मीट्रिक टन	संख्या–37
3	407 / समकक्ष	– क्षमता 2.5–3.0 मीट्रिक टन	संख्या–02

वाहनो की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई / बढ़ाई जा सकती है।

(2) <u>पात्रता मापदंड (Elgiliblity Critearea)</u>

– वाहन मॉडल वर्ष 2015 एवं उसके के बाद का वाहन होना चाहिए।

– वाहन निविदाकार के नाम से होना चाहिए।

– ठेकेदार प्रतिबंधित अथवा कालीसूची में किसी भी विभाग द्वारा नही डाला गया है, इससे संबंधित स्वप्रमाणित प्रमाण पत्र।

– वाहन का रजिस्ट्रेशन, अद्यतन रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा प्रमाण पत्र, जो नया वाहन लगायेगे वे वाहन का कोटेशन पेपर संलग्न करेगें। नये वाहन बी.एस.–6 मॉडल के ही मान्य किया जावेगा।

उपरोक्त से संबंधित प्रमाणपत्रो की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

(3) <u>अर्नेस्ट मनी (EMD)</u>

अर्नेस्ट मनी (EMD) की राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित रायपुर को देय हो, के द्वारा जमा की जावेगी। **यह राशि नगद जमा नही होगी।**

क.	वाहन का प्रकार	राशि रू.
1	ए.सी.ई. / समकक्ष	5000.00
2	मैक्स / पिकअप / समकक्ष	5000.00
3	407 / समकक्ष	10000.00

– सफल निविदाकार की अर्नेस्ट मनी रखी जाकर, असफल निविदारो की अर्नेस्ट मनी कार्य आदेश जारी होने के एक माह पश्चात् वापस कर दी जावेगी।

– अनुबंध अनुसार वाहन का संचालन नही करने पर (दण्डात्मक कार्यवाही) प्रतिभूति राशि राजसात की जावेगी।

(4) **<u>दर प्रस्ताव की वैद्यता (Rate Validity of Offer)</u>**

– निविदा दर प्रस्ताव अवधि 90 दिवस होगी।

(5) **<u>दण्ड (Penalty)</u>**

– दुग्ध परिवहन के दौरान किसी भी प्रकार की क्षति होने पर अनुबंध की कंडिकाओं के अनुसार निर्धारित वसूली की जावेगी।

(6) **<u>भुगतान (Peyment Terms)</u>**

– द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह दो बार (01–15 एवं 16–31) की अवधि में देयको का भुगतान किया जावेगा। वाहन ठेकेदार प्रत्येक पखवाड़े के देयक 7 दिवस के भीतर भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगें।

(7) **<u>निविदा की प्रकिया (Bidding Process)</u>**

– निविदा प्रपत्र बिना कांटछांट/काटपीट के स्वच्छ अक्षरो में होना चाहिए, जिसे बंद लिफाफे में एवं लिफाफे के उपर कार्य विवरण अर्थात् निविदा क्रमांक एवं दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक, निविदाकार का नाम एवं हस्ताक्षर सहित आवश्यक रूप से अंकित कर जमा किया जावे। यदि किसी प्रकार की निविदा भरते समय कांटछाट/काटपीट की जाती है तो निविदाकार का हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा।

– निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी–

<u>लिफाफा–(अ)</u>

इस लिफाफे में परिशिष्ट–1 एवं अर्नेस्ट मनी एवं निविदा फार्म की फीस से संबंधित डिमांड ड्राफ्ट रखे जायेगे। लिफाफे के उपर **<u>दुग्ध परिवहन हेतु निविदा, अर्नेस्ट मनी– लिफाफा–(अ) सुस्पष्ट रूप से लिखा हो</u>** एवं लिफाफा सीलबंद किया गया हो।

<u>लिफाफा–ब</u>

इस लिफाफे में परिशिष्ट–2 में समस्त जानकारी भरकर, पात्रता संबंधी कंडिका–2 के अनुसार समस्त अभिलेख रखे जावे। लिफाफे के उपर **<u>पात्रता संबंधी दस्तावेज– दुग्ध संकलन परिवहन कार्य लिफाफा–(ब) सुस्पष्ट रूप से लिखा जावे।</u>**

<u>लिफाफा–स</u>

इस लिफाफे में परिशिष्ट–3 में दर पत्रक एवं समस्त जानकारी भरकर प्रस्तुत करें। लिफाफे के उपर **<u>दर पत्रक–दुग्ध संकलन परिवहन कार्य लिफाफा–(स) सुस्पष्ट रूप से लिखा जावे।</u>**

इन तीनो लिफाफे को अच्छी तरह सीलबंद करके एक बड़े लिफाफे में रखकर सीलबंद किया जावें एवं लिफाफे के उपर स्पष्ट रूप से **<u>दुग्ध संकलन कार्य हेतु निविदा लिफाफा–(द) लिखा जावे।</u>**

इसके उपरांत **<u>लिफाफा–(द) को सीलबंद करके प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित को केवल पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से निर्धारित तिथि एवं समय पूर्व भेजा जावे।</u>**

<u>निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त होने वाली निविदायें स्वीकार नही की जावेगी।</u>

(8) **<u>निविदा खोलने की प्रकिया–</u>**

- सर्वप्रथम लिफाफा–(द) को खोलकर तीनो लिफाफे कम के अनुसार खोले जावेगे अर्थात् सर्वप्रथम लिफाफा–(अ) खोला जावेगा। इसमें निर्धारित अर्नेस्ट मनी एवं फार्म की कीमत का बैंक ड्राफ्ट सही पाये जाने पर लिफाफा–(ब) खोला जावेगा।
- लिफाफा–(ब) में पात्रता संबंधी समस्त दस्तावेज परिशिष्ट–2 के साथ रखे जावेगे। सभी दस्तावेज प्राप्त होने पर ही लिफाफा–(स) दर पत्रक खोला जावेगा।

(9) **<u>सामान्य नियम एवं शर्ते (General Terms & Conditions)</u>**

- प्रत्येक दुग्ध संकलन मार्ग हेतु पृथक–पृथक निविदा प्रस्तुत करनी होगी।
- निर्धारित दिनांक एवं समय के पश्चात् निविदा मान्य नही होगी।
- निविदा लिफाफा सीलबंद होना चाहिए।

– महासंघ के संचालक मण्डल सदस्य या महासंघ में कार्यरत कर्मचारी के निकट रिश्तेदार की निविदा (महासंघ के उपनियम के अनुसार) स्वीकृत नही होगी।

– खुले हुए निविदा लिफाफा स्वीकार नही होगे।

– आवश्यकता होने पर निविदाकार को अपना वाहन निरीक्षण हेतु कार्यालय में लाना होगा।

– निविदा स्वीकृत होने एवं कार्य आदेश जारी होने पर निविदाकार द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जावेगा। जिसमें प्रत्येक दुग्ध संकलन मार्ग पर दिये जाने वाले वाहन की प्रतिभूति राशि निम्नानुसार रहेगी–

क.	**वाहन का प्रकार**	**प्रतिभूति राशि**
1	ए.सी.ई. / समकक्ष	– 30000.00 प्रति वाहन
2	मैक्स / पिकअप / समकक्ष	– 40000.00 प्रति वाहन
3	407 / समकक्ष	– 60000.00 प्रति वाहन

– सफल निविदाकार की अर्नेस्ट मनी को प्रतिभूति राशि में समायोजन किया जावेगा एवं निविदाकार की शेष प्रतिभूति राशि को प्रथम तीन देयक से समान किश्तो में काटा जायेगा।

– महासंघ द्वारा निविदाकार से प्राप्त धरोहर एवं प्रतिभूति राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नही होगा।

– दुग्ध संकलन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टैक्स का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा। जिन मार्गो पर अनुबंध पश्चात् नये टोल टैक्स प्रारंभ होगे उनके लिए अलग से भुगतान किया जावेगा।

– निविदा स्वीकृत होने पर रू. 100.00 के नानज्यूडिशियल स्टाम्प पेंपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा।

– अनुबंधित वाहन पर शेड / हुड होना अनिवार्य है अन्यथा देयक का भुगतान रोका जायेगा।

– अनुबंधित वाहन पर दुग्ध महासंघ का विज्ञापन तथा महासंघ का संपर्क नंबर लिखवाना अनिवार्य होगा। निर्धारित दर पर प्रदाय डिजाईन अनुसार विज्ञापन के देयक की पूर्ति दुग्ध महासंघ द्वारा की जावेगी।

– खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानो के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाईसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व वाहन ठेकेदार का होगा।

– निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत करने का अधिकार प्रबंध संचालक दुग्ध महासंघ के पास सुरक्षित रहेगा।

- संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने या दुग्ध टेंकर संचालित करने पर संकलन वाहन ठेकेदार को एक माह की सूचना देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
- दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध उत्पन्न होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन हेतु भेजा जा सकेगा।
- संयंत्र/शीत केन्द्र/बी.एम.सी. में अवरोध होने पर संकलन वाहनो को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र/बी.एम.सी. की समितियों में अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।
- पृथक–पृथक मार्ग पर एक ही वाहन की निविदा प्राप्त होने तथा स्वीकृत होने पर दुग्ध महासंघ को यह अधिकार होगा कि वह किस मार्ग की निविदा स्वीकृत करें एवं यह निर्णय निविदाकार को मान्य होगा।
- अस्वीकृत निविदा की धरोहर राशि अंतिम निर्णय होने के पश्चात् वापसी योग्य होगी।
- निविदा एक वर्ष की होगी। प्रथम पक्ष को यह अवधि इन्ही शर्तो के अधीन तीन माह तक बढ़ाने का अधिकार होगा। आपसी सहमति से यह अवधि एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
- वाहन हमेशा साफ रखना अनिवार्य होगा। परिचालन के दौरान वाहन गंदी पाये जाने पर ऐसी प्रत्येक घटना पर रू. 500.00 का अर्थदण्ड परिवहन देयको से वसूल किया जावेगा।
- प्रत्येक वाहन में एक Dadicated मोबाईल उपलब्ध कराना होगा तथा वाहन में कार्यरत स्टाफ (चालक/परिचालक) को यह मोबाईल रखना अनिवार्य होगा।

उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त अनुबंध में वर्णित शर्ते निविदाकार को मान्य होगी।

(10) **<u>संनिष्ठा संधि</u>**

- निविदाकार को निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न संनिष्ठा संधि अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी।

(11) **<u>सीमांकन क्षेत्र (Arbitration)</u>**

किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति में अध्यक्ष– छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

(12) **<u>न्यायालयीन प्रकिया का कार्यक्षेत्र (Judicial of Coart)</u>**

समस्त न्यायालयीन वाद का कार्यक्षेत्र रायपुर होगा।

परिशिष्ट–1

लिफाफा–(अ) अर्नेस्ट मनी डी.डी.

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या..

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

।। निविदा फार्म वर्ष 2022–23 ।।

(1) निविदाकार का नाम ——————————————

(2) पिता का नाम ——————————————

(3) अर्नेस्ट मनी राशि रू. ——————————————

अक्षरी ——————————————

(4) डिमांड डाफ्ट (डी.डी.) नं. एवं दिनांक ——————————————

——————————————

(5) डिमांड डाफ्ट (डी.डी.) जारीकर्ता बैंक नाम ——————————————

एवं शाखा का नाम ——————————————

(संलग्न मूल डी.डी.)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम——————

परिशिष्ट–2

लिफाफा–(ब) वाहन संबंधी कागजात

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या..

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

।। निविदा फार्म वर्ष 2022–23 ।।

(1) निविदाकार का नाम ——————————————————

(2) पिता का नाम ——————————————————

(3) वाहन का पंजीयन क्रमांक ——————————————————

(4) वाहन का प्रकार एवं क्षमता/मॉडल वर्ष ——————————————————

——————————————————

(5) वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र का विवरण ——————————————————

——————————————————

(6) वाहन का बीमा प्रमाण पत्र का विवरण ——————————————————

——————————————————

(7) बैंक का नाम ——————————————————

(8) बचत बैंक खाता क्रमांक ——————————————————

(9) आई.एफ.एस.सी. कोड नं. ——————————————————

(10) पेन कार्ड नं. ——————————————————

(उपरोक्त समस्त प्रणाम पत्रो की छायाप्रति संलग्न करें)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम——————————

परिशिष्ट–3

लिफाफा–(स) दर प्रपत्र

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या..

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

निविदाकार का फोटो

।। निविदा फार्म वर्ष 2022–23 ।।

प्रति,

प्रबन्ध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.,
ग्राम–उरला, पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

महोदय,

मैने आपके कार्यालय द्वारा जारी दुग्ध संकलन परिवहन निविदा एवं संबंधित अनुबन्ध की शर्तें पढ़ ली है, यह निविदा स्वीकृत की जाती है तो अपना वाहन नियत दिनांक एवं समय पर उपलब्ध कराउंगा। वांछित जानकारी निम्नानुसार है–

(1) निविदाकार का नाम ——————————————

(2) पिता का नाम ——————————————

(3) स्थायी पूरा पता ——————————————
——————————————

(4) दूरभाष/मोबाईल नंबर ——————————————

(5) निविदा विवरण–

मार्ग क्रमांक .... मार्ग विवरण ....

अनुमानित दूरी कि.मी. प्रतिदिन (मार्ग विवरण में दर्ज अनुसार लिखे)	वाहन का प्रकार	क्षमता	मॉडल वर्ष	वाहन क्रमांक	दर प्रति कि.मी.

(अक्षरी रू.——————————————————————————————)

निविदाकार के हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम————————

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

।। दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा सूचना ।।

1	निविदा कार्य–दुग्ध संकलन परिवहन बाबत्	
2	निविदा प्रपत्र का कय मूल्य	राशि रू. 500 / – (अक्षरी तीन सौ रूपयें मात्र)
3	निविदा अवधि	दिनांक 01.03.2022 से 28.02.2023 तक
4	निविदा प्रपत्र विक्रय स्थान एवं दिनांक	छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के प्रशासनिक भवन (क्षेत्र संचालन शाखा) कार्यालयीन समय में 07.01.2022 से 17.01.2022 तक
		दुग्ध शीत केन्द्र–धमतरी, भाठागांव, पखांजूर, बिलासपुर, बसना, रायगढ़, चुरेगांव (कोण्डागांव) में 07.01.2022 से 17.01.2022 तक
5	निविदा जमा केवल डाक द्वारा स्वीकार्य	मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला में दिनांक 24.01.2022 तक
6	निविदा खोलना	मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला में दिनांक 25.01.2022 को दोपहर 12.00 बजे

उप महाप्रबंधक (क्षेत्र संचालन)

कार्यालय–छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

ग्राम–उरला,पोस्ट–बी.एम.वाय.चरोदा जिला–दुर्ग (छ.ग.)

निविदा क्रमांक / **3187** / छगदुमसं / क्षेत्र संचा. / 2022–23 दिनांक **05 / 01 / 2022**

।। दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा सूचना ।।

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के मुख्य दुग्ध संयंत्र उरला तथा महासंघ से संबद्ध दुग्ध शीत केन्द्र धमतरी, भाठागांव, पखांजूर, बिलासपुर, बसना, रायगढ़, चुरेगांव (कोण्डागांव) एवं संबंधित दुग्ध समितियों के बल्क मिल्क कूलर ईकाईयों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो से, दुग्ध संकलन वाहनो से, दुग्ध संकलन कार्य हेतु एक वर्ष की अवधि (01.03.2022 से 28.02.2023 तक) के लिए किराये बाबत् वाहन ठेकेदारो से सीलबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र मुख्य कार्यालय उरला एवं दुग्ध संयंत्र / शीत केन्द्र से दिनांक 07.01..2022 से 17.01.2022 तक कार्यालयीन दिवस में रू. 500.00 (अक्षरी पांच सौ रूपयें मात्र) नगद जमा कर, प्राप्त किये जा सकेगें। निविदा के साथ प्रत्येक दुग्ध संकलन मार्ग हेतु अर्नेस्ट मनी पिकअप व ए.सी.ई. हेतु रू. 5000.00 एवं 407 हेतु रू. 10000.00 की डी.डी. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित के नाम से रायपुर में देय हो, निविदा फार्म के साथ, दिनांक 24.01.2022 तक प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित पता–ग्राम उरला पोस्ट बी.एम.वाय. चरौदा जिला–दुर्ग को केवल पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से निर्धारित तिथि एवं समय पूर्व प्राप्त होना चाहिए।

प्राप्त समस्त निविदायें, दिनांक 25.01.2022 को दोपहर 12.00 बजे निविदाकारो के समक्ष कार्यालय में खोली जायेगी। विस्तृत विवरण दुग्ध महासंघ की वेबसाईट www.cgcoopdairyfed.in पर उपलब्ध है।

प्रबन्ध संचालक

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर

ग्राम–उरला पोस्ट बी.एम.वाय. चरोदा जिला–दुर्ग (छ0ग0)

दुग्ध संकलन मार्ग विवरण (01.03.2022 से 28.02.2023 तक)

क्र.	मार्ग क्रमांक	मार्ग विवरण	वाहन का प्रकार	क्षमता टन	कुल कि.मी. प्रतिदिन
	उरला डेयरी से संबद्ध मार्ग				
1	1	सेमराटीला–बेन्द्री बी.एम.सी.	टाटा ए.सी.ई.	1.0	168
2	1 शटल	पटेवा–केन्द्री	टाटा ए.सी.ई.	1.0	158
3	3 संकलन	सुंगेरा–कूरा–सुंगेरा	पिकअप	1.5	191
4	3 शीतलीकृत	सुंगेरा–उरला डेयरी	पिकअप	1.5	96
5	4 शटल	बड़गांव–खौली–बड़गांव	पिकअप	1.5	96
6	4 शीतलीकृत	बड़गांव–उरला डेयरी	पिकअप	1.5	90
7	5 संकलन	बंगोली–मोहदा–बंगोली	पिकअप	1.5	80
8	5 संकलन+शीत.	रोहांसी–अमेरा–कोसरंगी–बंगोली	टाटा 407	3.0	240
9	5 शटल	बंगोली से मढ़ी	टाटा ए.सी.ई.	1.0	58
10	8 संकलन	सरदा–बारगांव–बेरला	टाटा ए.सी.ई.	1.0	110
11	8 शटल	माटरा–मावलीभाठा	टाटा ए.सी.ई.	1.0	136
12	8 शीतलीकृत	सरदा–मावलीभाठा–उरला डेयरी	टाटा 407	3.0	123
13	24 संकलन+शीत.	लखौली–उरला डेयरी	पिकअप	1.5	266
14	बीजागोड़ शीतलीकृत	बीजागोड़–खैरागढ़–सण्डी–उरला डेयरी	पिकअप	1.5	225
15	बीजागोड़–1	कांचरी–कोदवा–घोटवानी–बीजागोड़	टाटा ए.सी.ई.	1.0	296
	दुग्ध शीत केन्द्र पखांजूर से संबद्ध मार्ग				
16	पखांजूर–1	पी.व्ही. 119–कापसी–पखांजूर	पिकअप	1.5	126
17	पखांजूर–2	पी.व्ही. 58–पी.व्ही.56–पखांजूर	टाटा ए.सी.ई.	1.0	112
18	पखांजूर–3	पी.व्ही. 55–पखांजूर	टाटा ए.सी.ई.	1.0	86
19	पखांजूर–4	पी.व्ही. 84–पखांजूर	टाटा ए.सी.ई.	1.0	146
20	पखांजूर–5	पी.व्ही. 37–पखांजूर	टाटा ए.सी.ई.	1.0	84
21	पखांजूर–6	पी.व्ही. 19–पखांजूर	टाटा ए.सी.ई.	1.0	90
22	पखांजूर–7	पी.व्ही. 54–पखांजूर	पिकअप	1.5	126
23	पखांजूर–8	पी.व्ही. 45–पखांजूर	टाटा ए.सी.ई.	1.0	118
	राजनांदगांव से संबद्ध मार्ग				
24	राजनांदगांव–20	जोरातराई–बघेरा–घुमका–राजनांदगांव	टाटा ए.सी.ई.	1.0	222
25	राजनांदगांव–23	संडी–गंडई–छुईखदान–संडी	टाटा ए.सी.ई.	1.0	158
	दुग्ध शीत केन्द्र धमतरी से संबद्ध मार्ग				
26	धमतरी–3	सियनमरा–कंवर–धमतरी	पिकअप	1.5	176
27	धमतरी–4	खरेंगा–भोथली–बोडरा	पिकअप	1.5	158
28	धमतरी–5	संकरी–सिलघट–टिपानी–धमतरी	पिकअप	1.5	168
29	धमतरी–2	चारवाही–भरदा–फागुनदाह–धमतरी	पिकअप	1.5	200
30	धमतरी–6	धमतरी–तरसीवा–भेंडरवानी–हंचलपुर	टाटा ए.सी.ई.	1.0	163

	दुग्ध शीत केन्द्र भाठागांव से संबद्ध मार्ग				
31	भाठागांव–1	चिंवरी–गैजी–दर्रा–मूरा–थूहा–बगौद	टाटा ए.सी.ई.	1.0	150
32	भाठागांव–2	करेली–भेण्डरी–भोथीडीह–अरौद	टाटा ए.सी.ई.	1.0	172
33	भाठागांव–3	गुदगुदा–बानगर–चर्रा–गोबरा	टाटा ए.सी.ई.	1.0	122
	अर्जुन्दा बी.एम.सी. से संबद्ध मार्ग				
34	अर्जुन्दा 26–बी	चिचलगोंदी–गुरेदा–कचांदूर–अर्जुन्दा	टाटा ए.सी.ई.	1.0	109
	गरियाबंद से संबद्ध मार्ग				
35	गरियाबंद–1	रावड़–पाण्डुका–रावड़	टाटा ए.सी.ई.	1.0	194
	दुग्ध शीत केन्द्र बिलासपुर से संबद्ध मार्ग				
36	बिलासपुर–10	कोतरी–गीधा–बिलासपुर	पिकअप	1.5	348
37	बिलासपुर–14 बी	रतनपुर–लोखण्डी–बिलासपुर	टाटा ए.सी.ई.	1.0	177
	दुग्ध शीत केन्द्र बसना से संबद्ध मार्ग				
38	बसना 6–ए	अजगरखार–बिटांगीपाली–बसना	पिकअप	1.5	162
39	बसना 6–सी	गहनाखार–सिंघोड़ा–लिमगांव–बसना	पिकअप	1.5	187
40	6–डी शीत.+ टप्पा बी.एम.सी.–1	रंगोरा–डूमरपाली–पकरीद–चेचरापाली–सरकड़ा–टप्पा	पिकअप	1.5	172
41	बसना 6–ई	कुदारीबहरा–सिंघनपुर–भूकेल	पिकअप	1.5	134
42	बसना 6–एफ	केन्दुढ़ार–दुलारपाली–उड़ेला–बसना	पिकअप	1.5	166
43	बसना 7 संकलन	छिलपावन–जलकी–गोंगल–सिंधुपाली–टप्पा	पिकअप	1.5	194
44	7–ए	गोड़बहाल–छिबर्रा–गोड़बहाल	पिकअप	1.5	84
45	बसना–टप्पासेवईया नया	डोंगरीपाली–भैरापुर–टेका–टप्पा	पिकअप	1.5	116
46	के.डी.–1 केदुवा बी.एम.सी.	जलपुर–बिजातीपाली–डूडूमचुवा–केदुवा	पिकअप	1.5	112
47	अमलीडीपा–1	अमलीडीपा–कलगीडीपा–डंगनिया–पठारीपाली –पिपरदा –कंवरपाली–बिरकोल	पिकअप	1.5	132
48	के.एन.–1 केना बी.एम.सी.	कुटेला–सेमलिया–सिरपुर–केना	पिकअप	1.5	184
49	के–1 कौहाकुड़ा बी.एम.सी.	कोमा–बी.के.बहरा–खपराखोल–कौहाकुड़ा	पिकअप	1.5	212
50	भगतदेवरी–1	तिलंजनपुर–भगतदेवरी	पिकअप	1.5	168
51	कसहीबहरा BMC	लामीडीह–सोनासिल्ली–कसहीबहरा	टाटा ए.सी.ई.	1.0	46
52	बनहर–बसना शीतलीकृत	बनहर–बसना सी.सी.	पिकअप	1.5	114
53	अमझर–बसना शीत.	अमझर से बसना बी.एम.सी.	पिकअप	1.5	164
54	खर्रीबडे–बसना शीत.	खर्रीबडे से बसना बी.एम.सी.	पिकअप	1.5	150
	रायगढ़ से संबद्ध मार्ग				
55	सारंगढ़–1	खर्री बड़े–डोंगिया–खर्री	टाटा ए.सी.ई.	1.0	130
56	सारंगढ़–2	सालर–मानिकपुर–चिखली–अचानकपाली–रामटेक–सालर	पिकअप	1.5	148
57	सारंगढ़–3	बंधापाली–बनहर	टाटा ए.सी.ई.	1.0	77
58	लेन्ध्रा–1	कपरतुंगा–खिचरी–सराईपाली	टाटा ए.सी.ई.	1.0	52
59	लेन्ध्रा–2	गौरडीह–बहलीडीह–लेन्ध्रा	पिकअप	1.5	143

	रायगढ़ से संबद्ध मार्ग				
60	बरपाली–1	अमलीपाली–नवागांव–बरपाली	पिकअप	1.5	116
61	बरपाली–3	कोड़ातराई–भठली–बरपाली	पिकअप	1.5	138
62	गोबरसिंघा–1	कोतमरा–डभरा–गोबरसिंघा	पिकअप	1.5	158
63	रायगढ़–अमझर	टिमरलगा–हिच्छा–लालाध्रुवा–अमझर	टाटा ए.सी.ई.	1.0	107
	जांजगीर–चांपा से संबद्ध मार्ग				
64	पुटीडीह–1	बोरसी–लटेसरा–बघौद–छवारीपाली–सहसपुरी–रायगढ़	पिकअप	1.5	280
65	पुटीडीह–2	मुड़पार–मिरौनी–कुरदी–जवाली–गोबरसिंघा	टाटा ए.सी.ई.	1.5	260
66	बम्हनीडीह–1	उदयभाठा–भोड़िया	पिकअप	1.5	244
	चुरेगांव बी.एम.सी. से संबद्ध मार्ग				
67	चुरेगांव बी.एम.सी.	चुरेगांव संकलन	टाटा ए.सी.ई.	1.0	40

वाहन का प्रकार	**क्षमता**	**संख्या**
(1) 407	3.0 MT	02
(2) पिकअप	1.5 MT	37
(3) ए.सी.ई.	1.0 MT	28
	योग	**67**

दुग्ध संकलन कार्य हेतु अनुबन्ध

फोटो

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक .... को लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित उरला बी.एम.वाय. चरोदा जिला दुर्ग एवं द्वितीय पक्ष श्री / श्रीमती .... निवासी .... है।

यह अनुबन्ध उभय पक्षकारों के बीच दुग्ध संकलन मार्ग क्रमांक —————————— मार्ग विवरण —————————————————————————————————— द्वितीय पक्ष / वाहन ठेकेदार / की वाहन क्रमांक——————————————————माडल ———————————— भार वाहन क्षमता—————————————— टन, रूपये ————————— शब्दों में ———————————————————————————————————— प्रति कि.मी. / प्रति पाली की दर से अनुमानित दूरी ——————————— कि.मी. आज दिनांक ———————————— जो निम्नलिखित शर्तों पर दुग्ध संकलन कार्य हेतु निष्पादित किया गया :—

(1) यह अनुबन्ध अवधि दिनांक —————————— से —————————— तक रहेगा । प्रथम पक्ष को यह अवधि इन्हीं शर्तो के अधीन तीन माह तक बढ़ाने का अधिकार होगा । आपसी सहमति से यह अवधि एक वर्ष तक और बढ़ायी जा सकती है ।

(2) इन शर्तों को दुग्ध संकलन परिवहन ठेके की शर्तें कहा जायेगा । शर्तों में जहां — जहां संस्था शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य सहकारी दुग्ध समिति मर्यादित एवं जहां—जहां महासंघ शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला, जिला— दुर्ग माना जावेगा । डेयरी का तात्पर्य डेरी डाक उरला, जिला— दुर्ग होगा एवं छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ के अंतर्गत शीत केन्द्र शब्द आयेगा, उसका तात्पर्य दुग्ध शीत केन्द्र बसना, धमतरी, पखांजूर, जगदलपुर, बिलासपुर, रायगढ़, सारंगढ़, भाठागांव, अम्बिकापुर, बैकुंठपुर, जशपुर, कबीरधाम एवं बी.एम.सी. टप्पासेवईया, गोड़बहाल, छिलपावन, नरतोरा, कसहीबहरा, खुटेरी, जोरातराई, कौहाकुड़ा, उमरिया, मोहदा, केदुवा, अमलीडीपा, केना, रंगोरा, भगतदेवरी, लेन्ध्रा, बरपाली, गोबरसिंघा, अमझर, बनहर, सालर, लखौली, अमेरा, रोहांसी, कोसरंगी, रावण, पोड़, श्यामनगर, पुटीडीह, बम्हनीडीह, सहदेवनगर, अर्जुन्दा, खैरागढ़, बेन्द्री, बड़गांव, बंगोली, सुंगेरा, मावलीभाठा, सरदा, बीजागोड़, चुरेगांव, डौंडीलोहारा, संडी, सिमगा, खिलोरा एवं बाद में प्रारंभ किये जाने वाले बी.एम.सी. से होगा।

(3) द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध निष्पादन के पूर्व प्रतिभूति राशि / जमानत राशि जिसमें ए.सी.ई / समकक्ष हेतु रूपये 30000 / — (अक्षरी रूपये तीस हजार मात्र), मैक्स / पिकअप / समकक्ष हेतु रूपयें 40000 / — (अक्षरी चालीस हजार रूपयें मात्र) एवं 407 / समकक्ष हेतु रूपये 60000 / — (अक्षरी साठ हजार रूपये मात्र) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या., उरला, जिला—दुर्ग में ड्राफ्ट अथवा नगद रूप में जमा करना होगा या ठेकेदार के आवेदन पर प्रथम तीन परिवहन देयक से समान किश्तो में प्रतिभूति राशि कटौत्रा की जावेगी, इस राशि पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज देय नहीं होगा। अनुबन्ध अवधि की समाप्ति पर संबंधित दुग्ध समितियों से / क्षेत्राधिकारी / ग्रामीण विस्तार संगठकों से अदेय प्रमाण पत्र प्राप्त कर राशि की वापसी हेतु आवेदन महासंघ में प्रस्तुत करना होगा तथा लेनदारी / देनदारी का समायोजन अंतिम देयक से प्रथम पक्ष द्वारा तीन माह के अंदर किया जायेगा । द्वितीय पक्ष को अनुबन्ध समाप्त या अन्य वजह से अनुबन्ध समाप्त होने पर एक माह के भीतर मार्ग के संबंधित दुग्ध समितियों से अदेय प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(4) प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार प्रतिदिन सुबह/शाम एक पाली अथवा दोनों पाली में निर्धारित समय पर धुले, खाली केन ढक्कन सहित नामांकित संस्थाओं को पहुंचाने एवं दूध से भरे केन ढ़क्कन सहित डेयरी तक लाने की जावबदारी व्दितीय पक्ष की होगी । इस हेतु महासंघ द्वारा समय समय पर आवश्यकता अनुसार दी गई निर्धारित समय सारणी ठेकेदार को (व्दितीय पक्ष) द्वारा मान्य होगी । समितियों द्वारा दूध केनों को सील्ड कर भेजा जाता है उन सभी केनों को सील्ड डेयरी डाक तक मापतौल होने तक सुरक्षित रखने की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी । केन सील्ड टूटे अथवा बदले पाये जाने पर एवं ऐसी दशा में समिति से हानि की शिकायत प्राप्त होने पर हानि की राशि ठेकेदार के देयक से वसूली जावेगी । मार्ग पर किसी संस्था का दूध न लाये जाने पर द्वितीय पक्ष को कारण सहित लिखित सूचना महासंघ को उसी दिन एवं उसी पाली में देनी होगी, जिसकी जांच महासंघ द्वारा की जायेगी । केन व ढक्कन प्राप्ती एवं प्रदाय मात्रा का हिसाब द्वितीय पक्ष को देना होगा । संस्थाओं में केन एवं ढक्कन बदलने की दशा में या गुम हो जाने की दशा में ठेकेदार को एक सप्ताह के अंदर निदान करना होगा । निदान न होने कि स्थिति में संस्थाओं के एल्यूमिनियम केन मय ढक्कन की राशि रू. 4000.00 (अक्षरी चार हजार मात्र) जिसमें केन की राशि रू. 3500.00 + ढक्कन की राशि रू. 500.00) तथा स्टेनलेस स्टील केनमय ढक्कन की राशि रू.4500.00 (अक्षरी चार हजार पांच सौ मात्र, जिसमें केन की राशि 4000.00 + ढक्कन की राशि 500.00) वाहन ठेकेदार के देयक से काटी जायेगी । इस हेतु महासंघ का निर्णय अंतिम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा । महासंघ द्वारा संस्थाओं को दिये जाने वाले सामान पशु आहार, घी, घास बीज, संस्था में लगने वाले मिल्को टेस्टर, इलेक्ट्रानिक तौल कांटा, दुग्ध संग्रहण व जांच उपकरण सामान एवं लेखन सामग्री, रजिस्टर, एसिड, अलकोहल एवं अन्य सामान डेयरी से ले जाने व संस्था में उतारने, उसका लेखा जोखा महासंघ द्वारा बताये अनुसार द्वितीय पक्ष को रखना होगा । उक्त सामान गुम होने पर नुकसान होने अथवा उसी दिन उसी पाली में संस्था को न पहुंचाये जाने की स्थिति में उस सामान की पूरी कीमत एवं रूपये 50/— प्रति समिति दण्ड लगाकर व्दितीय पक्ष से वसूल की जायेगी ।

(5) किसी दशा में डेयरी पर वाहन समय पर नहीं पहुंचने की स्थिति में दूध खराब होने पर होने वाले समस्त नुकसान की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जायेगी । इसके अतिरिक्त यदि संकलित दूध का 50 प्रतिशत से अधिक खट्टा/फटा दूध डेयरी डाक पर प्राप्त होने पर परिवहन भाड़े से 50 प्रतिशत का कटौत्रा किया जायेगा जो द्वितीय पक्ष को मान्य होगा।

(6) वाहन ठेकेदार को यह शपथ पत्र देना होगा कि उसका कोई रिश्तेदार/संबंधी छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. में किसी भी पद पर कार्यरत नहीं है ।

(7) किसी भी कारण से यदि संकलन मार्ग पर दुग्ध संकलन कार्य बंद रहता है तो व्दितीय पक्ष को महासंघ से कोई भाड़ा नहीं दिया जायेगा व इसकी सूचना समय पर कर दी जायेगी ।

(8) दुग्ध वाहन निर्धारित समय से डेयरी डाक पर न पहुंचने की स्थिति में प्रत्येक 15 मिनट के लिए रू. 25/—अक्षरी रूपये पच्चीस मात्र/या खट्टे/फटे दूध से होने वाली हानि की राशि का जो भी अधिक हो द्वितीय पक्ष से बसूला जायेगा ।

(9) किसी भी प्रकार की हड़ताल या बन्द में ठेकेदार सम्मिलित नही हो सकेगा, दुग्ध परिवहन नियमित दिन में दो बार करना होगा, ऐसा न होने की स्थिति में सम्पूर्ण हानि की जवाबदारी ठेकेदार की रहेगी ।

(10) ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के अनुपस्थित रहने की दशा में दूध का जो परीक्षण परिणाम होगा, वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा ।

(11) महासंघ के कार्य हेतु महासंघ के अधिकृत अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में ले जाना होगा । इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री आवश्यकतानुसार वाहन में रखी जा सकेगी। जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि देय नही होगी।

(12) महासंघ की सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा सामान एवं सवारी दूध वाहन में नहीं ले जाया जायेगा । महासंघ के अधिकारी द्वारा निरीक्षण एवं जांच के समय यदि उपरोक्त अनियमितता पायी गयी तो उस पाली का भाड़ा महासंघ द्वारा देय नहीं होगा एवं पूर्व में महासंघ एवं संस्था स्तर पर दूध की मात्रा तथा परीक्षण परिणाम में होने वाले अंतर की राशि द्वितीय पक्ष के देयक से काट ली जायेगी । लगातार तीन बार शिकायते रहती है तो वाहन बंद कर जमा अमानत राशि राजसात की जावेगी एवं आगामी दो वर्षो तक महासंघ की निविदायो में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जा सकेगा। यदि महासंघ द्वारा दिये निर्धारित दिनांक तक समिति में सप्लाई होने वाला सामान व्दितीय पक्ष द्वारा समिति पर नहीं पहुंचाया जाता है तो महासंघ वैकल्पिक व्यवस्था कर सामान पहुंचायेगा, जिस पर होने वाला संपूर्ण व्यय द्वितीय पक्ष वहन करेगा ।

(13) द्वितीय पक्ष द्वारा जो कर्मचारी वाहन पर नियुक्त किये जायेंगे, वे महासंघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे । लापरवाही बरते जाने पर महासंघ के आदेशानुसार ठेकेदार को उन पर कार्यवाही कर उन्हें कार्य से अलग करना होगा । ऐसा न करने पर महासंघ ठेका निरस्त कर सकता है ।

(14) द्वितीय पक्ष का कार्य संतोषप्रद नहीं पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में निविदा निरस्त की जा सकती है व संपूर्ण प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी ।

(15) द्वितीय पक्ष बिना महासंघ की अनुमति के संकलन कार्य हेतु वाहन नहीं बदल सकता व वाहन खराब होने की स्थिति में केवल एक दिन के लिए बिना अनुमति के वाहन बदल सकेगा, या इसके अतिरिक्त यदि वाहन की मरम्मत में एक दिन से अधिक का समय लगता है तो महासंघ की लिखित अनुमति से ही उस अवधि तक के लिए दूसरा वाहन चला सकता है । ठेके की अवधि में किसी दिन द्वितीय पक्ष अपने दुग्ध संकलन मार्ग की संस्थाओं की संकलित दूध परिवहन हेतु वाहन नहीं भेज पायेगा तो ऐसी परिस्थिति में हानि के रूप में उस दिन संस्थाओं द्वारा संग्रहित दूध का समस्त मूल्य एवं संस्थाओं के हेडलोड की राशि द्वितीय पक्ष से वसूल की जायेगी । उक्त स्थिति में परिवहन महासंघ द्वारा किया जाता है तो उस वाहन का अतिरक्त भुगतान भी द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल किया जायेगा । द्वितीय पक्ष मार्ग पर अनुबंधित वाहन का ही उपयोग करेगा । बिना अनुमति के वाहन बदलने पर निराकरण न होने की दशा में देयक से 50 प्रतिशत राशि कटौत्रा की जायेगी एवं समस्त हर्जाने के जिम्मेदार द्वितीय पक्ष होंगा ।

(16) द्वितीय पक्ष को प्रतिमाह दो बार देयकों को भुगतान किया जायेगा । प्रथम पखवाड़े को देयक दिनांक 20 को दिये जाने पर 30 तारीख तक भुगतान किया जावेगा । इसी तरह द्वितीय पखवाड़े का देयक प्रत्येक माह की 5 तारीख तक दिये जाने पर दिनांक 15 तक भुगतान किया जावेगा ।

(17) वाहन पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा संस्था व महासंघ के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर महासंघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही द्वितीय पक्ष को करनी होगी । कार्यवाही नहीं करने की दशा में प्रतिभूति की राशि जब्त कर ली जावेगी । वाहन ठेकेदार अथवा वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा समितियों के पदाधिकारियों/कर्मचारियों से किसी तरह का नगद लेन–देन नहीं किया जावेगा और न ही ऐसी किसी राशि का कटौत्रा महासंघ द्वारा उनके देयक से किया जावेगा इसके उपरांत यदि लेन–देन किया जाता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी वाहन ठेकेदार अथवा वाहन पर कार्यरत कर्मचारी की होगी ।

(18) महासंघ एवं संस्थाओं द्वारा दी गई दैनिक प्रतिपाली डाक मांग पत्र एवं फैट—वैट स्लिप उसी दिन समय पर पहुंचाने की व्यवस्था की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी । ऐसा न करने पर महासंघ द्वारा प्रतिपाली प्रति संस्था के हिसाब से रू. 5/— (अक्षरी रूपये पांच मात्र) द्वितीय पक्ष के बिल से वसूल किये जावेगे ।

(19) "वर्षा, प्राकृतिक विपदा एवं अन्य उचित कारण से मार्ग अवरूद्ध होने की दशा में द्वितीय पक्ष द्वारा उसी पाली के कार्यकाल में पंचनामा प्रस्तुत करना होगा। प्राप्त आवेदन को सत्यापन पश्चात मान्य अथवा अमान्य करने का निर्णय प्रबन्ध संचालक महोदय द्वारा लिया जायेगा जो कि द्वितीय पक्ष को अंतिम रूप से मान्य होगा ।"

(20) द्वितीय पक्ष अनुबन्ध अवधि में यदि ठेके हस्तांतरण करना चाहेगा तो प्रबन्ध संचालक की अनुमति से रूपये 10000/— (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र) हस्तातंरण शुल्क महासंघ कार्यालय में जमा कर स्वीकृत दर पर वाहन की स्वीकृत क्षमता, अनुबन्ध की शर्त मान्य करने वाले अन्य व्यक्ति को जिसके नाम से वाहन हो, अनुबन्ध की शेष अवधि के लिए अनुबन्ध की शर्तों को मान्य कराते हुए हस्तातंरित कर सकेगा । इस प्रकार के हस्तांतरण की कार्यवाही 10 दिन पूर्व कार्यालय में उपस्थित होकर सम्पन्न करना होगा । अनुबंध से प्रथम तीन माह तक ठेका हस्तांतरण की अनुमति नही दी जावेगी।

(21) दुग्ध वाहन में गर्मी एवं वर्षा से बचाव के लिए द्वितीय पक्ष को वाहन पर हुड एवं त्रिपाल/तालपत्री लगाना अनिवार्य होगा । उसी प्रकार दूध से भरे केनों पर खाली बोरी रखकर उस पर पानी छिड़कने की व्यवस्था करनी होगी, अन्यथा वाहन समय पर आने के बावजूद यदि दूध खट्टा/फटा होता है तो हानि की वसूली द्वितीय पक्ष से की जायेगी । हूड एवं त्रिपाल/तालपत्री के ना होने पर प्रबन्ध संचालक को विवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा ।

(22) महासंघ के अधिकारी अथवा सुपरवाइजर द्वारा मार्ग के चेकिंग के दौरान दुग्ध वाहन के कर्मचारियों के द्वारा दूध में गड़बड़ी करते अथवा कराते हुए पाया गया तो मार्ग पर पड़ने वाली सभी संस्थाओं की ठेके के दौरान दूध में जो कमी आयी है व अन्य हानि हुई है वह द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से वसूल की जायेगी । इस संबंध में महासंघ का निर्णय अंतिम एवं द्वितीय पक्ष को मान्य होगा । इसी प्रकार दुग्ध समितियों या अन्य जन सामान्य द्वारा वाहन में दूध की हेराफेरी करते हुए पाये जाने पर, उनके फोटो के आधार पर उक्तानुसार हानि की वसूली की जावेगी एवं ठेका निरस्त कर काली सूची में अंकित किया जावेगा।

(23) द्वितीय पक्ष के वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों के विरूद्ध सरकारी कानून के अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी व इसी वजह से महासंघ या संस्था को हानि होगी, वह द्वितीय पक्ष से वसूल की जावेगी ।

(24) डेयरी/दुग्ध शीत केन्द्र की परिधि के अन्दर आने वाले वाहन निर्धारित रफ्तार से ज्यादा गति से नहीं चलाई जावेगी, न ही डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई की जायेगी । इसी प्रकार द्वितीय पक्ष के वाहन ठेकेदार/हेल्पर द्वारा प्लांट परिसर में अनुशासन भंग कार्य किये जाने पर प्रथम पक्ष को स्वविवेकानुसार पेनाल्टी करने का अधिकार होगा ।

(25) स्वीकृत दर अनुबंधित अवधि में लागू रहेंगे । ठेकेदार को अनुबन्ध अवधि में वाहन हेतु उपयोग में आने वाले डीजल/आईल की व्यवस्था किसी भी परिस्थितियों मे स्वयं करने पड़ेगी । इसके लिए किसी प्रकार से व्यवस्था की जवाबदारी महासंघ की नहीं रहेगी । अनुबंधित वाहन में ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जब्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिए अन्य वाहन की व्यवस्था करनी होगी। यदि महासंघ स्तर से वाहन व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली द्वितीय पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं प्रतिभूति राजसात की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

अनुबन्ध अवधि में डीजल की दर में वृद्धि/कमी होने पर आपसी चर्चा द्वारा अनुपातिक दर से वृद्धि/ कमी की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

वाहन का प्रकार	औसत कि.मी. प्रति लीटर डीजल
ए.सी.ई.	22
मैक्स/पिकअप	15
डी.आई. 207	15
407	10

इस प्रकार औसत कि.मी. पर डीजल दर वृद्धि/कमी से राशि की गणना तदानुसार वाहन की दरों में वृद्धि/कमी प्रत्येक तीन माह में प्रभावशील डीजल दर से प्रति कि.मी. कमी या वृद्धि की जावेगी।

(26) द्वितीय पक्ष यदि अनुबंध अवधि के बीच में ठेका/अनुबंध समाप्त करना चाहेगा तो उसे महासंघ को तीन माह पूर्व लिखित में सूचना देना होगा । यदि तीन माह पूर्व की सूचना नही दी जाती है तो प्रबन्ध पक्ष को द्वितीय पक्ष की प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार होगा ।

(27) वर्षा एवं अन्य परिस्थितियों में यदि वाहन संस्था तक नही जा सके तो हेडलोड की व्यवस्था महासंघ द्वारा की जावेगी, जिसका भुगतान हेडलोड दूरी के लिए हेडलोड राशि का भुगतान महासंघ द्वारा दुग्ध देयक के माध्यम से संस्था को किया जावेगा एवं कि.मी. के अंतर की राशि का कटौत्रा ठेकेदार के देयक से किया जायेगा ।

(28) द्वितीय पक्ष को वाहन के साथ कम से कम एक कर्मचारी वाहन चालक के अतिरिक्त रखना होगा जो सामान उतारने एवं चढ़ाने हेतु सहायता एवं सामान की देख रेख करेगा । साथ ही डेयरी/शीत केन्द्र में खाली केन वाहन में भरना, संस्था पर खाली केन उतारना, दूध भरे केन डाक पर उतारना, साथ ही केन के उपर रखी बोरी में बाहर से पानी छिड़कने आदि का कार्य करेगा । दुग्ध परिवहन वाहन पर रखे गये वाहन चालक, परिचालक की उम्र 18 वर्ष से कम न हो तथा लाइसेंसशुदा हो। कर्मचारी के नाम एवं पूर्ण पता फोटो सहित महासंघ को लिखित में देना होगा एवं वाहन चालक के पास मोबाईल होना अनिवार्य आवश्यक होगा । यदि अनुबंधित वाहन मार्ग पर किसी कारण से विलम्ब होती है तो उसकी सूचना संबंधित मार्ग पर्यर्वेक्षक एवं आगे की दुग्ध समितियों के सचिवों एवं हेडलोडरो को उनके सम्पर्क नंबरो पर अवगत कराना होगा।

(29) दुग्ध वाहन में प्रति पाली ट्रक शीट संस्था के फैट एवं वेट स्लिप दुग्ध वाहन चालक को ले जाना अनिवार्य होगा । वाहन चालक द्वारा ट्रक शीट संस्था के कर्मचारीयों से/हेडलोडर से भराया जावेगा, ऐसा न करने पर वाहन के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है जो कि द्वितीय पक्ष को मान्य होगी । ट्रक शीट संस्था के कर्मचारियों द्वारा लिखित एवं हस्ताक्षरित होगा । डेयरी डाक में वाहन चालक द्वारा प्रतिदिन प्रतिपाली ट्रक शीट से संबंधित दूध पर्ची व मांग पत्र, ट्रक शीट के साथ प्रस्तुत करना होगा । इसके अभाव में संस्थाओं द्वारा प्राप्त शिकायत मान्य होगी व इसी आधार पर द्वितीय पक्ष से संस्था की हानि की राशि वसूली जायेगी ।

(30) महासंघ द्वारा प्रदाय समस्त सामग्री रसीद/पावती द्वितीय पक्ष के चालक अथवा कन्डेक्टर द्वारा भण्डार के चालान दुग्ध समितियों से प्राप्त कर भण्डार शाखा में देना होगा व महासंघ द्वारा भेजी गयी डाक की पावती भी देनी होगी ।

(31) महासंघ द्वारा निर्धारित मार्ग को बढ़ाने, घटाने या पुर्नसंरचित करने का अधिकार महासंघ को रहेगा । इस तरह जितना भी दूरी बढ़े या घटे उसमें निर्धारित दर से भाड़ा घटाया अथवा बढ़ाया जा सकेगा ।

(32) उपरोक्त शर्तों का पालन करने या महासंघ द्वारा समय–समय पर दिये गए निर्देशों/आदेशों और सूचनाओं का ठेकेदार पालन करने हेतु बाध्य होगा, अन्यथा कभी भी ठेका निरस्त करने का अधिकार महासंघ को होगा तथा प्रतिभूति की राशि राजसात की जा सकेगी ।

(33) दुग्ध वाहन पर प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित रीति से ऐसी सूचनायें दूध विक्रय हेतु नही है इस तरह की पट्टियां जिसमें काली पट्टी पर सफेद अक्षरो से अंकित पेंट की हुई लगाना होगा। महासंघ द्वारा दिये गये विज्ञापन प्लेट/पत्र पेटी अपने स्वयं के खर्चे पर आदेश प्राप्ति के एक माह के अन्दर अपनी वाहन पर लिखना आवश्यक है ।

(34) यदि किसी दुग्ध संकलन मार्ग की किसी भी एक या अनेक समितियों में निरंतर दूध या फैट की कमी की शिकायत महासंघ कार्यलय को प्राप्त होती है तो महासंघ के अधिकारी या पर्यवेक्षक सप्ताह में तीन दिन तक उक्त मार्ग के दूध वाहन में साथ जायेंगे । अधिकारी या पर्यवेक्षक दूध वाहन के साथ संलग्न रहने पर उन दिनों के यदि किसी भी संस्था/समिति में कोई कमी नहीं आती है तो यह मानकर दूध या फैट में कमी वाहन स्तर पर ही हो रही है । संस्था/समिति को हुए नुकसान की राशि अनुबन्ध की शर्त क्रमांक 23 के अनुसार संबंधित मार्ग के परिवहन ठेकेदार के देयक से काटी जायेगी ।

(35) प्रबंध संचालक को महासंघ के हित में यह अधिकार होगा की वह परिवहन ठेके को आवश्कता न पड़ने पर बिना कोई कारण बताये एक माह के नोटिस पर अनुबंध निरस्त कर सके ।

(36) दुग्ध संकलन वाहनों से मार्ग पर दुग्ध वितरण का कार्य भी किया जा सकेगा। जिसके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा।

(37) एक्सीडेन्ट एवं अन्य परिस्थितियों में ठेके के अन्तर्गत कार्यरत वाहन उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की या तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति की पूर्ति की पूर्ण जवाबदारी वाहन के ठेकेदार की होगी एवं महासंघ के सामान के क्षति की राशि की वसूली वाहन ठेकेदार से की जायेगी । साथ ही दुर्घटना के कारण होने वाली सभी देनदारीयां/मुआवजा की जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी।

(38) महासंघ द्वारा समितियों को प्रदाय करने हेतु दी गई सामाग्री के चालान की कापी पर संस्था कर्मचारियों के हस्ताक्षर सील सहित पूर्ण कराकर हस्ताक्षरित चालान पुनः महासंघ कार्यालय में जमा करना होगा । हस्ताक्षरित चालान जमा न करने पर संबंधित संस्था को भेजे गए सामान की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जा सकती है ।

(39) अनुबंध निष्पादन के पश्चात् द्वितीय पक्ष को अनुबंध की अवधि के दौरान समस्त श्रम विधान जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या. पर लागू हो अथवा जो समय–समय पर विधान द्वारा लागू किये जावेंगे मान्य होगा । ऐसे सभी विधान के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में समस्त देय राशि जैसे ई. एस. आई. अधिनियम के अन्तर्गत ई.एस.आई. उपादान, भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत भविष्य निधि उपादान तथा वेतन भत्ता अधिनियम के अन्तर्गत वेतन आदि की जवाबदारी वाहन ठेकेदार की होगी । यदि द्वितीय पक्ष उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का भुगतान करने में असफल पाया जाता है अथवा उसके द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है तो समस्त लेनदारी उसके बिलों में से काटने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.. रायपुर को होगा एवं ऐसे कटौत्रा के लिये ठेकेदार स्वयं उत्तरदायी होगा । शासन द्वारा सेम्पल डिक्लेरेशन U/S 194 C(6) फार नाम डिक्लेरेशन आफ टैक्स एट सोर्स भरकर जमा करना होगा।

(40) डेरी डाक/शीत केन्द्र पर दुग्ध संकलन के पश्चात् धुले हुए खाली केन, नाम लिखने एवं अन्य कार्य हेतु दो घंटे तक रोके जा सकेगें तथा यह कार्य पूर्ण होने के पश्चात् ही वाहन को खाली केन प्रदाय किये जायेंगे । इस अवधि में दूध परिवहन वाहन डेयरी/शीत केन्द्र पर रोका जा सकेगा ।

(41) अनुबन्ध की शर्तो को परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा । कार्य सुविधा/व्यवहारिकता को ध्यान में रखते हुए अनुबन्ध की शर्तों मे परिवर्तन किया जा सकेगा, जिसकी पूर्व सूचना द्वितीय पक्ष को दी जायेगी ।

(42) इस अनुबन्ध पत्र के अन्तर्गत विषयों से संबंधित उभयपक्षों के मध्य उत्पन्न विवाद का निराकरण सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा ही किया जायेगा ।

(43) अनुबंध करते समय द्वितीय पक्ष को स्टेट बैंक आफ इंडिया का बचत खाता क्रमांक एवं स्थायी खाता नंबर (PAN) कार्ड की सत्यापित छायाप्रति जमा करना आवश्यक होगा।

—8—

(44) दूध से भरे केनो की अधिकतम संख्या निम्नानुसार रहेगी—

क्र.	वाहन का प्रकार	केन की संख्या
1	ए.सी.ई.	30
2	मैक्स / पिकअप	40
3	डी. आई. 207	40
4	407 (3 टन)	75

अनुबंधित वाहन में उक्त अधिकतम क्षमता से अधिक केन भी लाये जा सकेगें। जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।

(45) वाहन चालक मद्यपान कर के वाहन न चलाए, ऐसे वाहन चालको की द्वितीय पक्ष द्वारा निरंतर चैकिंग की जाए तथा दोषियों को सेवा से पृथक किया जावें।

(46) महासंघ के द्वारा जो भी निर्धारित दुग्ध संकलन मार्ग निश्चित किया गया है, उसी पर वाहन खाली / भरी चलावें, यदि सत्यापन के समय पाया गया कि वाहन निर्धारित मार्ग से नही चलाया जा रहा है तो अधिकतम एक पाली के परिवहन का आर्थिक दण्ड किया जावेगा। साथ ही परिवर्तित मार्ग से जो दूरी कम होगी उसका सम्पूर्ण अनुबंध अवधि का कटौत्रा किया जावेगा।

(47) दुग्ध संयंत्र / दुग्ध शीत केन्द्र में अवरोध होने पर संकलन वाहनो को निकट के अन्य संयंत्र / शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।

(48) दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन लाने हेतु भेजा जा सकेगा।

(49) संकलन मार्ग पर बल्क मिल्क कूलर स्थापित किये जाने या टेंकर का परिचालन करने पर संकलन मार्ग के वाहन ठेकेदार को 01 माह पूर्व का नोटिस दिया जाकर वाहन बंद किया जा सकेगा।

(50) विशेष परिस्थितियों में अनुबंधित वाहन से कम क्षमता का वाहन चलाये जाने पर अनुबंधित दर में 20 प्रतिशत का कटौत्रा किया जावेगा। लेकिन किसी भी परिस्थिति में यह अवधि तीन दिवस से अधिक नही होगी। यदि इस अवधि में पुनः वाहन ठेकेदार द्वारा अनुबंधित क्षमता का वाहन नही लगाया, तो उसका अनुबंध निरस्त कर प्रतिभूति राशि राजसात की जा सकेगी।

(51) महासंघ द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार ही द्वितीय पक्ष को दुग्ध परिवहन कार्य करना होगा। यदि दुग्ध परिवहन वाहन निर्धारित समय पर दुग्ध परिवहन पाईन्ट पर नही पहुंचता है तो ऐसी दशा में समिति कर्मचारी निर्धारित समय के पश्चात् एक घंटे तक परिवहन पाईन्ट पर उपस्थित रहेगा। इस अवधि में भी वाहन दुग्ध परिवहन नही करता है तो उस दूध के खट्टे / फट्टे से हुई हानि की राशि एवं उस दूध को डेयरी डाक / शीत केन्द्र तक पहुंचाने में समिति द्वारा किये गये व्यय की राशि द्वितीय पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी। इसी प्रकार हेडलोड के समय पर नही पहुंचने पर 05 मिनट इंतजार कर अगले पाईन्ट पर जायेगा।

(52) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानो के अंतर्गत आवश्यक होने पर लाईसेंस प्राप्त करने का उत्तरदायित्व द्वितीय पक्ष का होगा। अनुबंध अवधि प्रारंभ होने के एक माह में लाईसेंस प्राप्त कर उसकी छायाप्रति दुग्ध महासंघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

(53) डेयरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नही चलाये जावेगें, डेयरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नही की जावेगी। डेयरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने–धोने जैसे कार्य नही करेगे। यदि ऐसा किया जाता है तो महासंघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड किया जावेगा उसका द्वितीय पक्ष देनदार रहेगा, साथ ही बिना अनुमति केनो को पानी भरने में प्रयोग नही किया जावेगा। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो महासंघ द्वारा जो दण्ड दिया जावेगा वह द्वितीय पक्ष को मान्य होगा। इसके अतिरिक्त डेयरी परिसर के अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहन वापस खाली बाहर नही जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेगा।

(54) द्वितीय पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कु. .... संबंध .... उम्र .... को पूर्ण होशोहवास में नामांकित घोषित करता है। द्वितीय पक्ष की मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कु. .... को महासंघ से व्यवहार करने का अधिकार रहेगा। इसकी स्वीकृति के वारिस के हस्ताक्षर करवा कर प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष देगा।

(55) इस अनुबंध के अंतर्गत यदि कोई राशि महासंघ/समितियों की निकलेगी तो प्रथम पक्ष को द्वितीय पक्ष की चल/अचल सम्पत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इस प्रकार से की जाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिए भी द्वितीय पक्ष और उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।

(56) वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है तो 24 घंटो में पुनः द्वितीय पक्ष द्वारा सुधरवाया जावेगा।

(57) वाहन पर कार्यरत कर्मचारी के विरूद्ध दर्ज अपराधिक प्रकरण में की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से महासंघ/संस्थाओ को कोई हानि होगी तो उसका जवाबदार रहेगा। साथ ही प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से द्वितीय पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं प्रतिभूति राशि राजसात कर लेवे।

(58) संकलन वाहन में परिवहन के समय दूध के केन के अतिरिक्त अन्य कोई सामग्री नही रखी जावेगी, यदि पाई जाती है तो एक दिवस के परिवहन देयक के बराबर राशि दण्ड स्वरूप काटी जावेगी, साथ ही यदि इस कारण दूध खराब हुआ तो दूध की हानि राशि भी द्वितीय पक्ष से काटी जावेगी।

(59) दुग्ध संकलन मार्ग पर पड़ने वाले टोल टेक्स निविदा में ही दर सम्मिलित करें। जिन मार्गो पर नये टोल टेक्स प्रारंभ होगे, उनके लिए अलग से भुगतान किया जावेगा।

(60) निविदा प्रपत्र भी इस अनुबंध का भाग माना जावेगा।

(61) उपरोक्त के अतिरिक्त ठेका अवधि में दुग्ध महासंघ में प्रचलित नियम निर्देश लागू होगे।

(62) समस्त विवादों के निपटारे के लिये न्यायिक कार्य क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा ।

दुग्ध संकलन परिवहन हेतु निविदा की शर्त एवं नियम 01 से 62 तक मैने अपने पूर्ण होशोहवाश से पढ़ ली है, जो मुझे मान्य एवं बाध्यकारी है ।

इस अनुबन्ध पत्र पर उभय पक्ष द्वारा आज दिनांक ———————— को दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर किये गये तथा प्रतिभूति राशि प्रति वाहन ए.सी.ई. हेतु रू. 30000.00, पिकअप हेतु रू. 40000.00 एवं 407 वाहन हेतु रू. 60000.00 में से अर्नेस्ट मनी समायोजन पश्चात् शेष प्रतिभूति राशि को प्रथम तीन परिवहन देयक से समान किश्तो में कटौत्रा किया जावेगा।

मैं .... द्वितीय पक्षकार अनुबंध की शर्तो का अवलोकन भलि भांति एवं पूर्ण होशोहवाश में कर लिया है एवं निम्न साक्षियो के समक्ष प्रथम पक्ष से अनुबंध निष्पादित करता हूं।

हस्ताक्षर	**हस्ताक्षर**
प्रबन्ध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.	**अनुबन्धकर्ता** नाम ———————————————— पता ———————————————— ———————————————— ————————————————
गवाह प्रबन्ध पक्ष	**अनुबन्धकर्ता के गवाह**
1— हस्ताक्षर———————— नाम —————————— पता —————————— ——————————————	1—हस्ताक्षर———————————— नाम ———————————————— पता ———————————————— ————————————————————
2— हस्ताक्षर———————— नाम —————————— पता ——————————	2—हस्ताक्षर———————————— नाम ———————————————— पता ————————————————

अनुबंधकर्ता द्वितीय पक्ष द्वारा नामांकित उत्तराधिकारी—
उनकी पत्नी का नाम—
हस्ताक्षर—
हमारा स्थायी आयकर खाता क्रमांक (पेन नं.)—

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित

देवभोग

CHHATTISGARH RAJYA SAHAKARI DUGDH MAHASANGH MARYADIT

(ISO 22000:2005 Certified)

पंजीयन क्रमांक / Registration No.
184 / RPR / 19.02.2013
Email : raipurdugdhsangh@gmail.com
Website : www.cgcoopdairyfed.in
GSTIN : 22AABAC6167E1Z5

Contact : 0771-4099794
7821247400, 7821247401
7821247402, 7821247403
6262002255, 6262005588(cc)

सिटी कार्यालय : शहीद वीर नारायण सिंह अभ्युदय परिसर, नगर घड़ी चौक, रायपुर, छ.ग.-492001
मुख्यालय एवं संयंत्र : उरला पो.ऑ. चरौदा, बी.एम.वाई., जिला-दुर्ग (छ.ग.) 490025

क्रमांक : क्रमांक / 3355 / छगदुमसं / क्षेत्र संचा. / टेडर / 2022–23 दिनांक : दिनांक 20/ 01 / 2022

प्रति,

विज्ञापन प्रबंधक
समाचार पत्र ''पत्रिका''
रायपुर (छ0ग0)

विषय :– निविदा तिथि में वृद्धि की सूचना प्रकाशन करने बाबत्।

विषयांन्तर्गत इस पत्र के साथ दुग्ध संकलन परिवहन कार्य हेतु किराये पर वाहन के लिए निविदा तिथि में वृद्धि की सूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर धमतरी, कांकेर, कोण्डागांव, जांजगीर–चांपा, महासमुंद एवं रायगढ़ जिलें में दिनांक 21.01.2022 के अंक में न्यूनतम साईज (9cmX8cm) पर प्रकाशित करने का कष्ट करें। प्रकाशन देयक दो प्रतियों में भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(प्रबंध संचालक महोदय द्वारा अनुमोदित)

प्रभारी उप महाप्रबंधक (क्षेत्र संचालन)
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

क्रमांक / 3356 / छगदुमसं / क्षेत्र संचा. / टेडर / 2022–23 दिनांक 20/ 01 / 2022

प्रतिलिपि–

1– प्रभारी (वित्त) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित की ओर सूचनार्थ।

प्रभारी उप महाप्रबंधक (क्षेत्र संचालन)
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.

कार्यालय-छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित, रायपुर
ग्राम उरला, पोस्ट बी.एम.वाय. चरोदा, जिला-दुर्ग (छ०ग०) 490025

क्रमांक / 3355/ छगदुमसं / क्षेत्र संचालन / टेंडर / 2022 उरला, दिनांक 20/ 01 / 2022

/ /समय वृद्धि सूचना/ /

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्यादित द्वारा दुग्ध संकलन परिवहन कार्य हेतु जारी निविदा सूचना क्रमांक 3187 दिनांक 05.01.2022 आमंत्रित की गई थी, जिसकी निविदा जमा करने की तिथि में वृद्धि किया जाकर 09.02.2022 एवं निविदा खोलने की तिथि 10.02.2022 की जाती है। शेष नियम व शर्ते पूर्वानुसार रहेगी।

प्रबंध संचालक
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ मर्या.